



प्रेस नोट

दिनांक 01.12.2025

यातायात माह नवंबर-2025, समापन समारोह-

आज दिनांक 01.12.2025 को यातायात माह नवंबर 2025 के समापन के उपलक्ष्य में हमीरपुर के पुलिस लाइन ग्राउंड में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉ. मनोज प्रजापति, माननीय विधायक सदर हमीरपुर व पुलिस अधीक्षक जनपद हमीरपुर डॉ. दीक्षा शर्मा, ने की। इस विशेष अवसर पर क्षेत्र के विभिन्न विद्यालयों के छात्र-छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यातायात नियमों के प्रति जागरूकता फैलाना और लोगों को सुरक्षित यातायात के महत्व को समझाना था। उपस्थित छात्र-छात्राओं को यातायात नियमों की जानकारी प्रदान की गई और उनसे यह आग्रह किया गया कि वे अपने परिवार और समुदाय के सदस्यों को भी इन नियमों के पालन के लिए प्रेरित करें।

माननीय विधायक सदर हमीरपुर व पुलिस अधीक्षक हमीरपुर ने यातायात नियमों के पालन के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि जीवन अनमोल है, और इसे सुरक्षित रखने के लिए यातायात नियमों का पालन करना अत्यन्त आवश्यक है। उन्होंने छात्रों को जिम्मेदार नागरिक बनने का संदेश दिया और उन्हें यातायात नियमों के पालन की शपथ दिलाई। कार्यक्रम में छात्रों को यह समझाया गया कि यातायात नियमों का पालन केवल कानूनी दायित्व नहीं है, बल्कि यह हमारी सुरक्षा के लिए अत्यावश्यक है। उन्होंने यातायात नियमों के उल्लंघन के संभावित खतरों और दुर्घटनाओं से बचने के तरीकों पर भी प्रकाश डाला। परिवहन विभाग, यातायात पुलिस हमीरपुर व सामाजिक कार्यकर्ता/ प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा श्री शिव शंकर सिंह के संयुक्त प्रयास से दो पहिया वाहन चालकों को हेलमेट वितरण किया गया।

कार्यक्रम के समापन पर सभी उपस्थित लोगों ने यातायात नियमों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाने और दूसरों को इसके प्रति जागरूक करने की शपथ ली। यह आयोजन न केवल एक जागरूकता अभियान था, बल्कि यह एक प्रयास था, जो जिले में सड़क सुरक्षा के प्रति सकारात्मक बदलाव लाने का संदेश देता है।

कार्यक्रम के दौरान निम्नलिखित प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा की गई:

1. दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का अनिवार्य उपयोग।
2. चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट लगाना।
3. बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन न चलाना।
4. वैध आयु और लाइसेंस प्राप्त करने तक वाहन न चलाना।
5. नशे की हालत में वाहन न चलाने की सख्त मनाही।
6. स्वयं यातायात नियमों का पालन करना और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करना।

इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक जनपद हमीरपुर, एआरटीओ हमीरपुर, क्षेत्राधिकारी सदर हमीरपुर, प्रभारी यातायात व अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

